पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-20/2026- 2115

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 वरूण कुमार,
अभियन्ता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण ।

फैक्स सेवा में,
ई-मेल

मुख्य अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/वीरपुर/कटिहार/गोपालगंज/पटना,
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, पटना/सिंचाई सृजन, डिहरी ।

पटना, दिनांक- 20-05-2026

विषयः- ***वर्ष 2026 बाढ़ से निपटने हेतु अग्रिम तैयारी के संबंध में ।***

महाशय,

आगामी बाढ़ अवधि सन्निकट है। अधिकांश आक्राम्य स्थलों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहे हैं, परन्तु बाढ़ अवधि में तटबंधों के किसी बिन्दु पर नदी आक्रामक हो सकती है। इस क्रम में पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाढ़ 2026 से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी के रूप में तटबंधों/अन्य आक्राम्य स्थलों की बाढ़ से सुरक्षा हेतु निदेशानुसार निम्नवत् निदेश संसूचित किये जा रहे हैं:-

1. 01 जून, 2026 तक सभी मुख्य अभियन्ता विगत वर्षो में बाढ़ के अनुभव/ नदी का व्यवहार/ सेटेलाईट इमेजरि के आधार पर तटबंधो के सम्भावित आक्रामय स्थलों को चिंहित कर इन बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार बालू का भंडारण एवं बालू भरे बोरे विभागीय रूप से एकत्रित कर लेंगे ।
2. किसी स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व स्थल का डिजिटल फोटोग्राफी अवश्य करा लिया जाय, इसके अतिरिक्त कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् भी स्थल का डिजिटल फोटोग्राफी करा लिया जाय ताकि कराये गये कार्यो की पारदर्शिता बनी रहे ।
3. संबंधित क्षेत्रीय यांत्रिक अभियंताओं के साथ बाढ़ निरोधी संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण 25 मई, 2026 के पूर्व पूर्ण करा लिया जाय एवं तदनुसार संरचनाओं को चालू हालत में करा लिया जाय तथा संरचना से पानी का रिसाव नहीं हो यह सुनिश्चित कर लिया जाय ।
4. बाढ़ पूर्व जिन स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य कराये गये हैं यदि उन स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी अपरिहार्य स्थिति में उन स्थलों पर उन्हीं संवेदक से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया जायेगा जिनके द्वारा कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। इस आशय का निदेश पूर्व में भी विभागीय पत्रांक 2175 दिनांक-06.06.2017 से आपको सूचित किया गया है।
5. वैसे सभी स्थल जहाँ कटाव निरोधक कार्य कराये गये हैं, अथवा नदी आक्राम्य है, ऐसे स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की तैयारी के मद्देनजर समूचित मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों यथा खाली सिमेंट के बोरे, नाईलॉन क्रेट, जीयो बैग, पर्याप्त मात्रा में बालू आदि का भंडारण बाढ़ अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाय।

6. संभावित आक्राम्य स्थलों पर दो अदद कैम्प, एक पदाधिकारियों के लिए एवं दूसरा श्रम बल के लिए (जिसमें समुचित प्रकाशीय व्यवस्था, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था हो), का निर्माण कराना बाढ़ पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाय । प्रत्येक स्थल पर हैण्डपम्प की भी व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाय।

7. **बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया तथा बाढ़ गश्ती नियमावली की एक-एक हार्ड कॉपी परिक्षेत्राधीन प्रत्येक अभियंता (कनीय अभियंता तक) को बाढ़ अवधि से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।**

8. बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका-4.4 का अनुपालन मुख्य अभियंता सुनिश्चित करायेंगे । कनीय अभियंता के द्वारा मोटर साईकिल से गश्ती हेतु उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका-4.4 में प्रावधानित इंधन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

20/05/2026

(वरूण कुमार)
अभियन्ता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण

पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-20/2026- 2115   पटना, दिनांक- 20-05-2026

प्रतिलिपिः-अभियंता प्रमुख (बाढ़)/अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

20/05/2026

(वरूण कुमार)
अभियन्ता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण

पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-20/2026- 2115   पटना, दिनांक- 20-05-2026

प्रतिलिपिः-माननीय उपमुख्य (जल संसाधन) मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

20/05/2026

(वरूण कुमार)
अभियन्ता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण

पत्रांक– बाढ़ (मो0)सिं0विविध–14/2015–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

योगेश्वर धारी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

मुख्य अभियंता, बा0नि0 एवं ज0नि0, कटिहार/
गोपालगंज/ समस्तीपुर/ पटना/
वीरपुर/ मुज़फ़्फ़रपुर

पटना, दिनांक –

विषय – बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ पूर्व कार्यान्वित कटाव निरोधक कार्यों एवं बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के परिप्रेक्ष्य में निदेशानुसार निम्न निदेश अनुपालन हेतु संसूचित किए जाते हैं:–

(i) बाढ़ पूर्व जिन स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य कराये गये हैं, यदि उन स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी अपरिहार्य स्थिति में उन स्थलों पर उन्हीं संवेदक से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया जाएगा, जिनके द्वारा कटाव निरोधक कार्य कराया गया है।
यह व्यवस्था अगले वर्ष से निविदा प्रकाशन में ही सम्मिलित कर लिया जाए।

(ii) वैसे सभी स्थल जहाँ कटाव निरोधक कार्य कराये गये हैं, नदी आक्राम्य है, वैसे स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की तैयारी के मद्देनज़र समुचित बाढ़ संघर्षात्मक सामाग्रियों यथा बालू का भण्डारण आदि बाढ़ अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाए।

(iii) उक्त स्थलों पर दो अदद् कैम्प, एक पदाधिकारियों के लिए एवं दूसरा श्रम बल के लिए, जिसमें समुचित प्रकाशीय व्यवस्था, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था हो, का निर्माण बाढ़ पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाए। प्रत्येक स्थल पर हैण्डपम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करा लिया जाए।

(iv) बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया की एक हार्डकॉपी परिक्षेत्राधीन प्रत्येक अभियंता (कनीय अभियंता तक) को बाढ़ अवधि से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(v) बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका 4.4 का अनुपालन मुख्य अभियंता सुनिश्चित करायेंगे। कनीय अभियंता के द्वारा मोटर साइकिल से गश्ती हेतु उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका 4.4 में प्रावधानित इंधन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – बाढ़ (मो0)सिं0विविध–14/2015– पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – बाढ़ (मो0)सिं0विविध–14/2015– 2175 पटना, दिनांक : 06/6/17

प्रतिलिपि – अभियंता प्रमुख (बाढ़)/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/ आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

165

159 (38)

- मुख्य अभियंता स्थल के संवेदनशीलता के बारे में सूचना पाने के चार घंटे के अन्दर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के साथ स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर आवश्यक निदेश देंगे।

  मुख्य अभियंता स्थल पर आवश्यकतानुसार स्थल को अतिसंवेदनशील अथवा संवेदनशील घोषित करते हुए परिक्षेत्राधीन गठित विशेष दल के सदस्यों को प्रतिनियुक्त करेंगे।यदि स्थिति अधिक संवेदनशील हो तो वहाँ पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना करायेंगे एवं एक आत्मभारित प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब भेजते हुए आवश्यकतानुसार मोबाईल से भी सूचना देंगे।

  मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से तटबंधों का खैरियत प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त करेंगे। मुख्य अभियंता दैनिक खैरियत प्रतिवेदन, साप्ताहिक सामग्री से संबंधित प्रतिवेदन तथा पाक्षिक प्रपत्र–24 मुख्यालय में समर्पित करेगें एवं आकस्मिक परिस्थिति में अद्यतन स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग एवं अभियंता प्रमुख (उत्तर) को तुरन्त अवगत करायेंगे।

- जब नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से उपर रहे या तटबंध के टो में नदी का पानी सट जांय तो कार्यपालक अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक रात–दिन तटबंधों की गश्ती करेंगे एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित श्रमिकों को तटबंध के गश्ती में प्रतिनियुक्त करेंगे।

- सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर आवश्यकता के अनुरूप मजदूर रखने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होगी।

- तटबंधों पर गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में गृह–रक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक कि०मी० पर संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। गृह–रक्षकों की गश्ती बीट–वार की जायेगी।

- गृह–रक्षकों का मुख्यालय तटबंध के उस प्रभाग के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय रहेगा, जहाँ वे कनीय अभियंता को गश्ती के दौरान प्राप्त सूचनाओं को देंगे। इन सूचनाओं का कनीय अभियंता द्वारा एक पंजी में संधारण किया जायेगा। कनीय अभियंता गृह–रक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी सहायक अभियंता के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को देंगे। कार्यपालक अभियंता अनुपस्थिति की सूचना जिला समादेष्टा, गृह–रक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

4.4 तटबंध सुरक्षा की जिम्मेवारी

- कनीय अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका के प्रावधान के तहत प्रत्येक दिन चार बार तटबंधों/संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे। कनीय अभियंता का बाढ़ अवधि के दौरान मुख्यालय उनके परिक्षेत्राधीन पड़ने वाले तटबंध के अतिसंवेदनशील स्थल पर अस्थायी निर्मित कैम्प कार्यालय रहेगा। कनीय अभियंता मोटर साईकिल से गश्ती करेंगे एवं इस गश्ती हेतु कनीय अभियंता को प्रतिदिन दो लीटर पेट्रोल अनुमान्य रहेगा। सूचनाओं का आदान–प्रदान कनीय अभियंता VPN/CUG मोबाईल के माध्यम से करेंगे। स्थल की संवेदनशीलता के संबंध में किसी भी स्रोत से सूचना मिलने पर कनीय अभियंता आधा घंटा के अन्दर उस स्थल पर पहुँचकर बाँध की स्थिति से तत्काल सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को अवगत करायेंगे एवं सुरक्षा की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर देंगे। कनीय अभियंता अपने कार्य क्षेत्राधीन सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर स्थल पंजी, गेज पंजी, क्रेट लेईंग रजिस्टर, साउन्डिंग रजिस्टर एवं भंडार पंजी संधारित करेंगे।
- बाढ़ अवधि के दौरान सहायक अभियंता का मुख्यालय अधीनस्थ तटबंध के सर्वाधिक संवेदनशील स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय होगा। बाढ़ अवधि के दौरान प्रत्येक सहायक अभियंता को एक निरीक्षण वाहन उपलब्ध रहेगा। कनीय अभियंता अथवा किसी भी माध्यम से किसी स्थल की संवेदनशीलता की सूचना प्राप्त होते ही वे एक घंटा के अन्दर स्थल पर पहुँचकर, स्थिति से तत्काल कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को अवगत कराते हुए सुरक्षा की कार्रवाई को सम्पुष्ट करेगें। सहायक अभियंता कार्य से संबंधित सभी पंजियों को जाँच कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं अन्य किसी भी स्रोत से स्थल की संवेदनशीलता की जानकारी होते ही दो घंटे के भीतर कार्यपालक अभियंता स्थल पर पहुँचकर इसकी सुरक्षा हेतु वांछित कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित